संख्या–15 / 13 / 2009–का–4–2010

प्रेषक,

अश्वनी कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

कार्मिक अनुभाग–4

लखनऊः दिनांक : अप्रैल 02 ,2010

विषयः– लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष–2010–2011 के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष–2010–2011 के वचनबद्ध व्यय के लिए, उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम 2010 (अधिनियम संख्या–6 सन् 2010) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को पूँजी लेखा को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रूपये–26,82,08,000.00 (रूपये–छब्बीस करोड़ बयासी लाख आठ हजार मात्र), जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

मद का नाम	धनराशि(हजार रूपयों में)
01–वेतन	96000
02–मजदूरी	12500
03–मंहगाई भत्ता	31680
04–यात्रा व्यय	3500
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100
06–अन्य भत्ते	14800
07–मानदेय	3400
08–कार्यालय व्यय	30000
09–विद्युत देय	5500
10–जलकर / जल प्रभार	600
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	6300
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1100
13–टेलीफोन पर व्यय	650
14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों / मोटर गाड़ियों का क्रय	0
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	900
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1500
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	450
19–विज्ञापन,बिक्री और विख्यापन व्यय	15000
23–गुप्त सेवा व्यय	17380
26–मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	500
29–अनुरक्षण	300
42–अन्य व्यय	20
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100
45–अवकाश यात्रा व्यय	150
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	100
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	800
49–चिकित्सा व्यय	1500
50–मंहगाई वेतन	0
51–वर्दी व्यय	300
योग–	245130

क्रमशः.....2

800–अन्य व्यय 03–अवशेषों का भुगतान 01–वेतन	22578
पूंजी लेखा– 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01–कार्यालय भवन 800–अन्य व्यय 03–राज्य लोक सेवा आयोग के आवासीय/अनावासीय भवनों के लघु निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था 25–लघु निर्माण कार्य	500
महायोग	268206
(रूपये–छब्बीस करोड़ बयासी लाख आठ हजार मात्र)	

2 स्वीकृत व्यय पूरा करने के लिए प्रदेशनों (एलाट्मेंट) में से धनराशि का विनियोग बजट मैनुअल के बंधित नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा । धनराशि के प्रदेशन मात्र से ऐसा व्यय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जिसे करने के लिए बजट मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता हो । जहां ऐसे अनुमोदन की आवश्यकता हो, वहां व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय ।

3. विनियोग अधिनियम के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि में से मद संख्या– 04–यात्रा व्यय, 08– कार्यालय व्यय, 12– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 13–टेलीफोन पर व्यय,15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद एवं 25–लघु निर्माण कार्य में उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का उपयोग फैजिंग के आधार पर किया जायेगा, अर्थात प्रत्येक माह में 1/12 भाग के समतुल्य धनराशि का ही उपयोग किया जायेगा ।

4. उपर्युक्त व्यय अनुदान संख्या–20 में लेखाशीर्षक,"2051–लोक सेवा आयोग– आयोजनेतर–102–राज्य लोक सेवा आयोग–03–राज्य लोक सेवा आयोग (भारित)" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–15/13/2009(1)–का–4–2010, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
4 निदेशक,वित्त सांख्यिकी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5 कोषाधिकारी, इलाहाबाद ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5
7. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
8. कार्मिक अनुभाग–3

आज्ञा से,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव